



PCIM&H/E.12029/2020-21/ 902


Dated: 01-11-2021

कार्यालय आदेश

सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से कर्मचारी शिकायत समिति को तत्काल प्रभाव से विघटित कर दिया गया है। सभी अधिकारी/कर्मचारी अपनी शिकायत से संबंधित मुद्दों (यदि कोई हो) को उचित माध्यम से आगे आवश्यक कार्रवाई के लिए प्राधिकरण को प्रस्तुत कर सकते हैं।

With the approval of the competent authority the staff grievance committee is here by dissolved with immediate effect. All the officers/staff may submit their grievance related issues (if any) through proper channel to the authority for further necessary action.

इस पत्र को निदेशक के अनुमोदन से जारी किया गया है


(जी वी अमर जोसफ)
प्रभारी संयुक्त निदेशक

सेवा में

1. सभी अधिकारी / कर्मचारी

प्रतिलिपि

डॉ ललित तिवारी वेबसाइट में अपलोड करें